अनुस्मारक/समयबद्ध

संख्या- 7/2021/622/का-1-2021/13(2)/2021

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़कर)

कार्मिक अनुभाग **लखनऊः दिनांक 20 सितम्बर, 2021**

विषयः- समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-622/का-1-2021 /13(2)/2021 ,दिनांक-25.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें |

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समूह 'क' एवं 'ख' के समस्त कार्मिकों के विरुद्ध सम्प्रति प्रचलित विभागीय कार्यवाहियों का निस्तारण समान्यतः छः माह के अन्दर करा लिए जाने तथा उक्त के अतिरिक्त निर्धारित प्रारूप पर दिनांक-30.07.21 तक प्रचलित उक्त विभागीय कार्यवाहियों की संख्यावार संकलित सूचना दिनांक 31-08-2021 तक निर्धारित पारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु उक्त वांछित संकलित सूचना अभी भी कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नहीं हो पायी है।

3- अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने-अपने विभाग की अद्यतन सम्पूर्ण संकलित सूचना, अपने हस्ताक्षर से निर्धारित पारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनाये अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 25-09-2021** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in